-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 28.08.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ कई महिनों से फरार/वांछित 10 हजार रुपये के इनामिया अभियुक्त को थाना बिसण्डा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिसण्डा पुलिस द्वारा 10 हजार रुपयें के इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि थाना बदौसा क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा दिनांक 15.11.2024 को थाना बदौसा पर सूचना दी गई कि उसके लडके सुरेश को किसी ने जान से मारकर खेत में फेंक दिया है। सूचना पर प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बदौसा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष बदौसा श्री सुभाष चन्द्र वर्मा द्वारा सम्पादित की जा रही थी। विवेचना के क्रम मे पाया गया कि मृतक की मृत्यु हत्या से नहीं बल्कि मृतक सुरेश अपने 02 अन्य साथियों के साथ बिजली के तार चोरी करने गया था, उसी दौरान लाइट के खम्भे पर चढ़ने से करंट लगने से हुई थी। जांच में यह भी उजागर हुआ कि घटना के समय मृतक के साथ मौजूद दोनों व्यक्तियों ने मृतक को अकेला छोड़कर भागने एवं घटना की सूचना किसी को न देने जैसी गम्भीर लापरवाही की। उनके इस कृत्य से परिजनों और पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया गया। प्रकरण में शामिल एक अभियुक्त रामकिशोर को पुलिस टीम ने पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था अन्य दूसरा अभियुक्त घनश्याम उर्फ बउवा पुत्र मोतीलाल काफी समय से फरार चल रहा था जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा 10 हजार रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था। इसी क्रम में दिनांक 27.08.2025 को थाना बिसण्डा पुलिस द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के पास संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. घनश्याम उर्फ बउवा पुत्र मोतीलाल निवासी देवीनगर थाना बिसण्डा जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. अपराध निरी0 श्री महेन्द्र प्रताप सिंह
2. उ0नि0 श्री लालाराम
3. हे0का0 प्रदीप कुमार
4. कां0 चन्दन यादव

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 157/24 धारा 106/238 बीएनएस थाना बिसण्डा जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 63/20 धारा 147/148/308/323/325/504/506 भदावि थाना बिसण्डा जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 76/21 धारा 304/308/323 भदावि थाना बिसण्डा जनपद बांदा।